61/22 रोनक vs रुकमणि (2022/177)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/06/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं पूर्व बहस पर मनन पश्चात वादीगण का वाद आंशिक-स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया। जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 27/06/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या:— 61 / 2022 जी.सी.एम.एस नं0 2022 / 177

1. चैनक शर्मा आयु 12 वर्ष पुत्री ओमप्रकाश, पौत्री रामकिशन
2. भूपेश शर्मा आयु 4 वर्ष, पुत्र ओमप्रकाश, पौत्र रामकिशन,

नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा, जाति स्वामी, निवासी ग्राम हीरावाला, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:वादीगण:—

बनाम्

1. रुकमणी पत्नी रामकिशन (नाम हजफ)
2. कमला देवी पत्नी स्व0 रामभगत उर्फ रामभजन
3. लाली देवी पुत्री रामभगत उर्फ रामभजन
4. मदनलाल पुत्र रामभगत उर्फ रामभजन
5. राधामोहन पुत्र रामभगत उर्फ रामभजन
6. रामजीलाल पुत्र मुरलीधर
7. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन
8. पवन पुत्र रामकिशन
9. राकेश पुत्र रामकिशन
10. सन्तोष पुत्री रामकिशन

समस्त जाति स्वामी, निवासी ग्राम हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान।

11. इलाहबाद बैंक शाखा बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।
13. उपपंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:प्रतिवादीगण:—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री सुरेश शर्मा, एड0 वादीगण। दिनांक:— 27 / 06 / 2025

—:निर्णय:—

1. आज यह दावा बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 7 लगायत 10 स्व0 रामकिशन निवासी हीरावाला की सन्तान एवं पत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या 14 के ... ओमप्रकाश के पुत्र व पुत्री है जो जायन्दा पौत्र एवं पौत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ... के जरिये यह वाद मय माननीय नाबालिग अवस्था में होने के कारण अपनी माता के जरिये ... वादीगण के पड़दादा मुरलीधर की खातेदारी एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। ... खसरा नम्बर 7 रकबा 1.2200 हैक्टेयर काश्त की भूमि खाता संख्या नया 16 पुराना 13 ... तहसील बस्सी वाके ग्राम बाढस्वामी, पटवार हल्का रामस्वरूपपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित चली आ रही थी एवं वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 के पिता रामकिशान पुत्र मुरलीधर का स्वर्गवास वादी के ... वादीगण के पड़दादा मुरलीधर के स्वर्गवास से पहले हो गया था ...

जाने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण वादीगण के दादा रामकिशन के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/3 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 1973 से 1976 के अनुसार दर्ज चली आ रही है। जमाबन्दी की प्रतियां वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 7 ता 10 के दादा व ससुर मुरलीधर से प्रतिवादी संख्या 1 के पति का स्वर्गवास मूरलीधर से पहले हो जाने के कारण एवं उसके पश्चात वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की दादी को जरिये विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि पैतृक भूमि है। जिसमें वादीगण के जन्म से हित व अधिकार निहित चले आ रहे है। वादीगण अपनी माता व स्व0 दादा, प्रतिवादी संख्या 1 दादी व प्रतिवादी संया 7 ता 10 के साथ संयुक्त हिन्दू परिवार में निवास कर भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 7 पर काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है तथा आज दिनांक भी वादग्रस्त भूमि पर पुख्ता मकानात बनाकर निवास कर रहे है व शेष भूमि पर आज दिनांक भी काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि वादग्रस्त पैतृक एवं हिन्दू परिवार की कॉपार्सनरी भूमि होने के कारण वादीगण वादग्रस्त भूमि के कानूनन संयुक्त खातेदार है तथा भूमि वादग्रस्त में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में से विरासत में प्राप्त होने वाले कानूनन अपने हिस्से जन्म से निहित चले आ रहे है अर्थात वादीगण का ज्यौही प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के परिवार में जन्म हुआ त्यौही वादीगण के बाई बर्थ राईट भूमि वादग्रस्त में सृजित हो गये तथा पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 भूमि वादग्रस्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से 1/3 में से 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो गये। प्रवितादी संख्या 1 वादीगण की दादी है जो वादीगण की पैतृक भूमि को बेचान कर खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसी कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है कि वह भूमि वादग्रस्त का विक्रय करे, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संया 7 ता 10 अपने अनैतिक कार्यो की पूर्ति हेतु भूमि वादग्रस्त पैतृक भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण अवेध रूप से विक्रय करने पर आमादा है। दिनांक 28.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 व 7 ता 9 भूमि वादग्रस्त पर कुछ कुछ भूमि कारोबारियों को लेकर विक्रय हेतु दिखाने लाये तथा वादग्रस्त भूमि की नाप जोक व मकान की नाप जोक की कार्यवाही करने लगे तो वादीगण की माता ने प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण के हिस्से की भूमि व पुख्ता मकानात को बेचान करने व खुर्द बुर्द करने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 7 लगायत 9 नाराज हो गये तथा ऐलानियां कहने लगे कि वादग्रस्त भूमि मेरे व हमारी मम्मी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है हमने उपरोक्त भूमि को विक्रय हेतु दिखा दिया है तथा ____ की बेचान करके रहेगें इस पर वादीगण की माता ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि

उपखण्ड अधिकारी
(जयपुर)

...क भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण के हक व अधिकार निहित है तथा आप अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नही कर सकते इस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 7 लगायत ... अत्यधिक नाराज हो गये तथा पुनः ऐलानियां यह कहा कि हम भूमि वादग्रस्त का विक्रय ...दिगर लोगो को करके रहेगें तुम्हे जो करना है सो कर लो। यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 7 लगायत 9 की उक्त हरकत के कारण वादीगण को यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में ...पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति होने से वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 7 ग्राम ...बाढस्वामी प.ह. रामरतनपुरा तहसील बस्सी में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 भूमि वादग्रस्त में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में से निहित अपने हिस्से 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने एवं वादीगण के हित अधिकार की वादग्रस्त भूमि का अवैधानिक रूप से विक्रय नहीं करने व कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने तथा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 7 ता 10 जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 रूकमणी पत्नी रामकिशन के फौतगी होने पर पूर्व से उसके कानूनी वारिसान रिकॉर्ड पर होने से प्रार्थना पत्र नाम हजफ स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 13 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले जाकर वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र एवं वादी के साक्ष्य के समर्थन में साक्षी पेश के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये। प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता की वादपत्र पर बहस सुनी गई।

... मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों प्रदर्श 1–जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 15 खसरा नम्बर 7, प्रदर्श 2 से 4 आधार कार्ड, प्रदर्श 5 से 6 जन्म प्रमाण पत्र, लिखितशुदा शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन करने के पश्चात् हम पाते है कि भूमि वादग्रस्त ... पैतृक एवं हिन्दू परिवार की कॉपार्सनरी भूमि होने के कारण वादीगण वादग्रस्त भूमि के कानूनन संयुक्त खातेदार होने से भूमिवादग्रस्त के सम्बन्ध में वादीगण वाद ... प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर अनुतोष चाहा है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 7 की संतान होना स्पष्ट है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण की दादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण की दादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 की माता प्रतिवादी संख्या 1 के दौराने दावा फौत हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के कानूनी वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1 रूकमणि पत्नी रामकिशन के हिस्से 1/3 में से प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 – 1/12 तथा भूमि उक्त वादग्रस्त में से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से 1/12 में

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

से वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/36 – 1/36 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होने से अपने पिता की पैतृक भूमि मे बाई वर्थ अधिकार निहित होने से उक्त वाके ग्राम बाढस्वामी, प.ह. रामरतनपुरा तहसील बस्सी के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 1.2266 में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/36 – 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 8, 9 व 10 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 – 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को वादीगण की खातेदारी में दखल अंदाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित पाते है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम बाढस्वामी प.ह. रामरतनपुरा तहसील बस्सी खसरा नम्बर 7 रकबा 1.2266 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 रुकमणि पत्नी रामकिशन के स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/36 – 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 8, 9 व 10 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 – 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, राहिन हिस्सेनुसार व शेष जमाबन्दी बदस्तूर रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को वादीगण की खातेदारी में दखल अंदाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकॉर्ड में अमद दरामद की कार्यवाही करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 27/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

[illegible] बनाम रुकमणि
61 / 2022 (2022 / 177)
निर्णय दिनांक 27.06.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई (ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

वादीगण	प्रतिवादीगण
[illegible] शर्मा आयु 12 वर्ष पुत्री ओमप्रकाश, पौत्री रामकिशन [illegible] शर्मा आयु 4 वर्ष, पुत्र ओमप्रकाश, पौत्र रामकिशन, नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा, जाति स्वामी, निवासी ग्राम हीरावाला, तहसील बस्सी जिला जयपुर।	1. रुकमणी पत्नी रामकिशन (नाम हजफ) 2. कमला देवी पत्नी स्व0 रामभगत उर्फ रामभजन 3. लाली देवी पुत्री रामभगत उर्फ रामभजन 4. मदनलाल पुत्र रामभगत उर्फ रामभजन 5. राधामोहन पुत्र रामभगत उर्फ रामभजन 6. रामजीलाल पुत्र मुरलीधर 7. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन 8. पवन पुत्र रामकिशन 9. राकेश पुत्र रामकिशन 10. सन्तोष पुत्री रामकिशन समस्त जाति स्वामी, निवासी ग्राम हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान। 11. इलाहबाद बैंक शाखा बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर। 12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर। 13. उपपंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

<u>दावा बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :—श्री सुरेश शर्मा, एड0 वादीगण।

पर्चा डिक्री

जी.सी.एम.एस. न0 2022 / 177

मुकदमा न0 61 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे ________ वादीगण व .... प्रतिवादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू हमारे मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम बाढस्वामी प.ह. रामरतनपुरा तहसील बस्सी खसरा नम्बर 7 रकबा 1.2266 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 रूकमणि पत्नी रामकिशन के स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/36 — 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 8, 9 व 10 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 — 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, राहिन हिस्सेनुसार व शेष जमाबन्दी बदस्तूर रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को वादीगण की खातेदारी में दखल अंदाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27 / 06 / 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम [illegible] मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर